

कामकाज ← राजभाषा आयोग - भाग-17. अनु-343-351.

राजभाषा → कार्यलिप → 22 भाषा → 8वीं अनुसूची

↳ अनु-343: 15 वर्षों तक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा।

↳ हमारी राजभाषा हिन्दी, लिपि देवनागरी तथा अंकों का निरूपण अन्तर्राष्ट्रीय होगा।

अनु-344: भाषा आयोग का गठन:

↳ सन् 1955 में आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष B.G. बेरथे।

भाषा-हिन्दी
लिपि-देवनागरी
अंक-अन्तर्राष्ट्रीय
1, 2, 3, 4

↳ भाषा आयोग के लिए 30 सदस्यी संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्य सभा से होंगे।

↳ अनु० 345: राज्य अपने राजकीय भाषा के रूप में किसी भी भाषा को अपना सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह आठवी अनुसूची में शामिल भाषा है।

अनु०-346 :- केन्द्र और राज्य के मुख्य पत्र व्यवहार की भाषा :-

अनु-120

↳ संसद की भाषा :- यह भाषा वही होगी जो उस राज्य के कार्यालय की भाषा होगी।

अनु-210 → विधानमण्डल के भाषा

अनु०-348 :- उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा

↳ इसकी भाषा अंग्रेजी होगी।

↳ HC में राज्यपाल HC के मुख्य न्यायाधीश से पूर्व अठ्ठाई पर क्षेत्रीय भाषा या हिंदी में सुनवाई करवा सकता है।

। नैकीय डिक्टि और ऑर्डर की भाषा अंग्रेजी होगी।

SC के आदेश पर ऑर्डर की भाषा धारित होगी।

अठ-350 :- बच्चों को द्वितीय भाषा में शिक्षा प्रदान किया जाएगा।

↳ मातृभाषा → Mother tongue.

अठ-351 :- हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करना है।

✓ ↳ आरम्भ में आठवीं अनुसूची में कुल भाषा-14

15वां - 21वां C.A.A-1967 → हिंदी

18 वीं → 71वां C.A.A-1992 → नेपाली ^{नमक} गणेशपुरी कोकड़ी

92वां C.A.A-2003 → बोडो डोगरी मैथली, (संथली)

BODMAS

→ शास्त्रिय भाषा: प्राचिन काल से प्रयोग लापी आने वाली भाषा.

* सप्त-2024,

↳ फारसी भाषा

- ① तमिल - 2004.
- ② संस्कृत - 2005.
- ③ तेलगु - 2008.
- ④ कन्नड - 2008.
- ⑤ मलयालम - 2014.
- ⑥ ओडिशी या उडिया - 2014.

1.30
9mp

UP Exams
KGS
Home page
Video Section

आपातकाल
370, 31

संविधान का विकास

संविधान सभा

संविधान को संशोधन

संविधान संशोधन

आर्यसूची

उच्चैः

उच्चैः

1.30

मंत्रिपरिषद

विषय

राजनीतिक दल

UT

वेदावसूह

समित

विहार का विधानमण्डल